भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता , 2023

Prelims MCQs,
Mains & Interview Questions

Tansukh Paliwal
LL.M, CA
Ex. Govt Officer (Raj.)
Founder, Linking Laws

Sample Preview

Linking Publication
Jodhpur, Rajasthan

Click Here to Buy Linking Publications

Preface

Hello & नमस्कार,

Since 2011, when I entered in Law field, I have felt that current system of studying law as a Law learner is quite traditional (like 1980's competition times). I strongly believed one thing that if you want to fight in present tough competition war like judiciary exams or any other law exam, you must be equipped with smart techniques to learn with tech support. So, in student life as LL.B. student, I used to start linking with one provision other similar provisions at same time, so that I can recall multiple sections/concepts in one MCQs.

Along with that I do believe in one statement, **"वर्तमान को समझने के लिए, अतीत को देखें और फिर भविष्य के बारे में सोचना शुरू करें"**. This statement is directly linked with every student life. So, I found previous papers helpful to understand previous exam level, source of question asked in those exam etc. But frankly saying, I was not satisfied with traditional way of just solving previous exam papers MCQs, instead I decided that to get better output in preparation, we need to analysis the previous paper subject wise rather year wise.

All these ideas, efforts, and experiences have come together in one powerful initiative—"**Paperathon**." It's not just a study tool; it's a movement towards smarter, sharper, and Subject wise strategic judiciary preparation. It is featured with the Linking Technique—a modern, game-changing approach that connects concepts, laws, and real-world application like never before.

In **Prelims**, you'll get linked provisions with clear explanations, helping you master the 'why' behind every question. In **Mains**, you'll learn how to write answers that don't just inform but impress—through linking-based structure and analysis. And for the **Interview**, Paperathon brings you exclusive, real-time Questions & Answers straight from those who've cracked it—now proudly serving as Civil Judges across various states.

This is more than preparation—it's transformation. And I truly believe Paperathon will save you time, boost your confidence, and help you walk into every stage of the exam with clarity, strategy, and a winning edge.

"Don't just prepare. Link your preparation with purpose, precision, and power."

With belief in your journey,

- **Tansukh Paliwal**

Founder of Linking Laws

© All rights including copyright reserved with the publisher.

Disclaimer

No part of the present book may be reproduced re-casted by any person in any manner whatsoever or translated in any other language without written permission of publishers or Author(s). All efforts have been made to avoid any error or mistakes as to contents but this book may be subject to any un-intentional error/omission etc.

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

INDEX		
Sr. No.	Subjects	Page No.
1.	Range - Chapter wise	4-5
2.	Section Switching Table [CrPC - -> BNSS]	6-7
3.	Prelims MCQs	8-60
4.	Mains Questions	61-178
5.	Interview Questions	179-19
6.	Scan QR for Landmark Judgments (Year wise & Subject wise)	191

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023		
CH.	**BNSS Range Chapter wise**	***Sections***
I	प्रारंभिक	*1-5*
II	दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन	*6-20*
III	न्यायालयों की शक्ति	*21-29*
IV	वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता	*30-34*
V	व्यक्तियों की गिरफ्तारी	*35-62*
VI	हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं	*63-93*
VII	चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं	*94-110*
VIII	कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की & समपहरण के लिए प्रक्रिया	*111-124*
IX	परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति	*125-143*
X	पत्नी, संतान और माता-पिता के भरणपोषण के लिए आदेश	*144-147*
XI	लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना	*148-167*
XII	पुलिस का निवारक कार्य	*168-172*
XIII	पुलिस को इत्तिला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां	*173-196*
XIV	जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता	*197-209*
XV	कार्यवाहियां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें	*210-222*
XVI	मजिस्ट्रेटों से परिवाद	*223-226*
XVII	मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना	*227-233*
XVIII	आरोप	*234-247*
XIX	सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण	*248-260*
XX	मजिस्ट्रेटों द्वारा वारण्ट मामलों का विचारण	*261-273*
XXI	मजिस्ट्रेट द्वारा समन - मामलों का विचारण	*274-282*
XXII	संक्षिप्त विचारण	*283-288*
XXIII	सौदा अभिवाक्	*289-300*
XIV	कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी	*301-306*
XXV	जांचों और विचारणों में साक्ष्य	*307-336*

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

अध्याय – I : प्रारंभिक (1-5)

1. एक वारंट मामला का अर्थ क्या है?

(a) एक ऐसे अपराध से संबंधित मामला जिसकी सज़ा मौत, आजीवन कारावास या छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कारावास है।
(b) एक ऐसे अपराध से संबंधित मामला जिसकी सज़ा मौत, आजीवन कारावास या तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास है।
(c) एक ऐसे अपराध से संबंधित मामला जिसकी सज़ा मौत, आजीवन कारावास या पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास है।
(d) एक ऐसे अपराध से संबंधित मामला जिसकी सज़ा मौत, आजीवन कारावास या दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास है।

Ans. [d]

लिंकिंग प्रावधान: धारा 2(एक्स) (धारा 2(य) BNSS) L/w 238-250, 275, 277, 278 Cr.PC। (धारा 261-273, 310, 312, 313 BNSS)

2. असंज्ञेय अपराध का अर्थ एक ऐसा अपराध है, जहाँ:

(a) पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तारी कर सकता है।
(b) पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तारी कर सकता है।
(c) पुलिस अधिकारी जमानत दे सकता है।
(d) केवल न्यायालय जमानत दे सकता है।

Ans. [b]

लिंकिंग प्रावधान: - धारा 2(एल) **(धारा 2(ण) BNSS)** L/w 2(सी), 41, 42-43, 149-151, 154-156, 359। **(धारा 2(छ), 35, 39-40, 168-170, 173-175, 400 BNSS)**

स्पष्टीकरण: Cr.PC की धारा 2 (एल) **(धारा 2(ण)** BNSS) के अनुसार, असंज्ञेय अपराध का अर्थ है ऐसा अपराध जिसके लिए ऐसा मामला जिसमें पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है।

3. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की किस धारा के अंतर्गत "अपराध" शब्द को परिभाषित किया गया है?

(a) धारा 40
(b) धारा 2 (n)
(c) धारा 2 (w)
(d) उपर्युक्त में से किसी में नहीं

Ans. [b]

लिंकिंग प्रावधान:-

1. **धारा 2(क) [2(1)(ग) BNSS]-** "जमानतीय और अजमानतीय अपराध"।
2. **धारा 2(ग) [2(1)(छ) BNSS]-** "संज्ञेय अपराध"।
3. **धारा 2(ठ) [2(1)(ण) BNSS]-** "असंज्ञेय अपराध"।
4. **धारा 2(ढ) [2(1)(थ) BNSS]-** "अपराध"।
5. **धारा 40 IPC [2(24) BNS]-** "अपराध"।

स्पष्टीकरण:- **धारा 2(ढ)** "अपराध" को परिभाषित करती है। इसका मतलब है कोई ऐसा कार्य या लोप जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दण्डनीय बना दिया गया है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा कार्य भी है, जिसके बारे में पशु अतिचार अधिनियम, 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है।

4. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 (d) परिभाषित परिवाद निम्नलिखित कैसे अपराध से सम्बन्धित है?

(a) केवल संज्ञेय अपराध से
(b) केवल असंज्ञेय अपराध से
(c) दोनों (a) और (b) से
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. [c]

लिंकिंग प्रावधान:-

1. **धारा 2(घ) [2(1)(ज) BNSS]-** "परिवाद"।
2. **धारा 190(1)(क) [210(1)(क) BNSS]-** परिवाद प्राप्त होने पर संज्ञान।
3. **धारा 200-203 (223-226 BNSS)-** मजिस्ट्रेटों से परिवाद।

स्पष्टीकरण:- **धारा 2(घ)** "परिवाद" को परिभाषित करती है। इसका मतलब मजिस्ट्रेट को मौखिक या लिखित रूप में किया गया अभिकथन है। परिवाद मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के उद्देश्य से किया जाता है जिसने अपराध किया है। यहां यह व्यक्ति ज्ञात या अज्ञात हो सकता है। इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है।

5. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की निम्न धाराओं में से किस धारा में 'संज्ञेय अपराध' को परिभाषित किया गया है?

(a) धारा 2-क में (b) धारा 2-ख में
(c) धारा 2-ग में (d) धारा 2-घ में

Ans. [c]

Linked Provisions:-

लिंकिंग प्रावधान:-

1. **धारा 2(क) [2(1)(ग) BNSS]-** "जमानतीय और अजमानतीय अपराध"।
2. **धारा 2(ग) [2(1)(छ) BNSS]-** "संज्ञेय अपराध"।
3. **धारा 2(ठ) [2(1)(ण) BNSS]-** "असंज्ञेय अपराध"।
4. **धारा 2(ढ) [2(1)(थ) BNSS]-** "अपराध"।
5. **धारा 154 (173 BNSS)-** संज्ञेय मामलों में इत्तिला।

स्पष्टीकरण:- **धारा 2(ग)** संज्ञेय अपराध को परिभाषित करती है। यह एक ऐसा अपराध है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के दोषी को गिरफ्तार कर सकता है और न्यायालय की अनुमति के बिना अन्वेषण शुरू कर सकता है।

6. अभिकथन (A) : जाँच विचारण से पूर्ववर्ती है।
कारण (R) : विचारण आपराधिक कार्यवाही का तीसरा चरण है।

(a) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
(b) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
(c) (A) सत्य है परन्तु (R) असत्य है
(d) (R) सत्य है परन्तु (A) असत्य है

Ans [a]

लिंकिंग प्रावधान:- धारा 2(छ) CrPC [2(1)(ट) BNSS]।

स्पष्टीकरण:- धारा 2(छ) जांच को परिभाषित करती है। इसका अर्थ है विचारण से भिन्न, ऐसी प्रत्येक जाँच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। जाँच विचारण से पूर्ववर्ती है।

विचारण- CrPC विचारण शब्द को परिभाषित नहीं करता है। विचारण एक न्यायिक कार्यवाही है जो या तो दोषसिद्धि या दोषमुक्ति में समाप्त होती है लेकिन किसी को भी उन्मोचित नहीं करती है। यह एक न्यायिक अधिकरण द्वारा एक ऐसे मामले पर परीक्षण और निर्धारण है जिस पर इसका अधिकार क्षेत्र है। यह आपराधिक कार्यवाही का तीसरा चरण है।

7. दण्ड प्रक्रिया विषय भारत के संविधान की निम्न सूचियों में से किस सूची के अन्तर्गत आता है?

(a) संघ सूची में
(b) राज्य सूची में
(c) समवर्ती सूची में
(d) (a) में या (b) में

Ans. [c]

लिंकिंग प्रावधान:- 7वीं अनुसूची COI।

स्पष्टीकरण:- आपराधिक विधि और दण्ड प्रक्रिया समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं जबकि पुलिस और जेल से संबंधित मामले राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं।

8. 'जाल बिछाने की कार्यवाही, निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है ?

(a) जाँच का (b) विचारण का

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

(c) अन्वेषण का (d) उपरोक्त किसी का नहीं

Ans. [c]

लिंकिंग प्रावधान- धारा 2(h) (धारा 2(l) BNSS) CrPC

स्पष्टीकरण- धारा 2(h) के अनुसार, "अन्वेषण" में इस संहिता के तहत एक पुलिस अधिकारी या किसी भी व्यक्ति (मजिस्ट्रेट के अलावा) द्वारा किए गए सबूतों के संग्रह के लिए सभी कार्यवाही शामिल हैं जो इस संबंध में एक मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत हैं। जाल बिछाना अन्वेषण का हिस्सा है।

9. दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 प्रवर्तन में आया

(a) 19 मार्च, 2013 को
(b) 3 फरवरी, 2013 को
(c) 21 मार्च, 2013 को
(d) 31 मार्च, 2013 को

Ans. [b]

लिंकिंग प्रावधान- धारा 26 परंतुक, 54A परंतुक 1 और 2, 154(1) परंतुक 1 और 2, 160(1) परंतुक, 161(3) परंतुक 2, 164(5A), 173(2)(i)(h), 197 (1) स्पष्टीकरण, 198B, 273 परंतुक, 309(1), 327(2), 357B, 357C CrPC।

स्पष्टीकरण- विधेयक को 2 अप्रैल 2013 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और इसे 3 फरवरी 2013 से प्रभावी माना गया। यह मूल रूप से भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा 3 फरवरी 2013 को 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामले में विरोध के आलोक में एक अध्यादेश जारी किया गया था।

10. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 91 (धारा 94 BNSS) लागू नहींहोती है

(a) परिवादी को
(b) साक्षी को
(c) अभियुक्त को
(d) एक व्यक्ति को जो न परिवादी है न अभियुक्तन साक्षी

Ans. [C]

स्पष्टीकरण- धारा 91 (**धारा** 94 BNSS)- के उपबंध अभियुक्त पर लागु नही।

धारा 91 - न्यायलय या पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी यह समझता है की किसी ऐसे अंवेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजन के लिए, जो न्यायलय या अधिकारी का समक्ष हो रही है, किसी दस्तावेज या चीज को पेश करने के लिए समन या लिखित आदेश दे सकेगा की उस पेश करे।

अध्याय – II : दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन (6-20)

11. धारा 1(2) (धारा 1(2) BNSS) के अनुसार Cr.P.C. का कौन-कौन सा अध्याय नागालैण्ड में लागू होगा ?

(A) Only Chapter IX
(B) Chapters VIII and VII
(C) Chapters VIII, IX and X
(D) Chapters VIII, X and XI

Ans. [D]

लिंकिंग प्रावधान- धारा 1 Cr.PC। **(धारा 1(2) BNSS)**

स्पष्टीकरण- धारा 1 लघु शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ से संबंधित है। धारा 1(2) में कहा गया है कि Cr.PC पूरे भारत में लागु है। लेकिन, अध्याय 8, 10 और 11 इन पर लागू नहीं होंगे-

i) नागालैंड राज्य, ii) आदिवासी क्षेत्र।

* संबंधित राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे प्रावधानों या उनमें से किसी को पूरे नागालैंड राज्य या ऐसे जनजातीय क्षेत्रों में लागू कर सकती है।

12. पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोक्ता के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते:

(a) उसका पद इंस्पेक्टर के पद से नीचे का है।
(b) उसने जांच में भाग लिया हो।
(c) वह पुलिस अधीक्षक के पद पर हो।
(d) उसका पद इंस्पेक्टर के पद से नीचे का नहीं हो और उसने जांच में भाग नहीं लिया हो।

Ans. [d]

लिंकिंग प्रावधान: धारा 25(3) परंतुक **(धारा 19(3) परंतुक** BNSS) L/w 24, 25ए Cr.PC।**(**धारा **18, 20 BNSS)**

13. CrPC की किस धारा के तहत सरकार द्वारा सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है?

(a) धारा 24 (b) धारा 25
(c) धारा 26 (d) धारा 29

Ans. [a]

लिंकिंग प्रावधान :- धारा 25 L/w 24 Cr.PC. **(धारा 19 L/w 18 BNSS)**

स्पष्टीकरण: धारा 24 (धारा 18 BNSS) - लोक अभियोजक।

धारा 25 (धारा 19 BNSS) - सहायक लोक अभियोजक।

धारा 26 (धारा 21 BNSS) - वे न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय हैं।

धारा 29 (धारा 23 BNSS) - दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकते हैं।

14. निम्नलिखित को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धाराओं के आधार पर क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए-

I- लोक अभियोजक
II- विशेष महानगर मजिस्ट्रेट
III- विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट
IV- सत्र न्यायालय

नीचे दिये गये कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए-

कूट -

(a) I, II, III and IV (b) IV, III, II and I
(c) III, IV, II and I (d) I, IV, III and II

Ans [b]

लिंकिंग प्रावधान:- धारा 9, 13, 18, 24 CrPC (8, 11, 18 BNSS)।

स्पष्टीकरण:-

- **धारा 9** सेशन न्यायालय से संबंधित है।
- **धारा 13** विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट से संबंधित है ।
- **धारा 18** विशेष महानगर मजिस्ट्रेट से संबंधित है।
- **धारा 24** लोक अभियोजक से संबंधित है।

15. निम्नलिखित में से कौन दण्ड प्रक्रिया संहिता में सही सुमेलित नहीं है?

(a) धारा 2(d) (**धारा** 2(1)(h) BNSS)- परिवाद
(b) धारा 2(h) (**धारा** 2(1)(l) BNSS) - अन्वेषण
(c) धारा 2(r) (**धारा** 2(1)(t) BNSS)- पुलिस रिपोर्ट
(d) धारा 2(wa) (**धारा** 2(1)(y) BNSS)- पीड़ित

Ans. [d]

लिंकिंग प्रावधान- धारा 2 (wa) (धारा 2(1)(y) BNSS) **CrPC**

स्पष्टीकरण- धारा 2(wa) 'पीड़ित' शब्द को परिभाषित करती है। यह 31/12/2009 से प्रभावी 2009 के अधिनियम 5 द्वारा डाला गया था। इस धारा के अनुसार, पीड़ित वह व्यक्ति है जिसे किसी कार्य या लोप के कारण कोई नुकसान या चोट लगी है जिसके लिए आरोपी व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है और इसमें उसके संरक्षक या विधिक उत्तराधिकारी शामिल हैं।

16. दण्ड प्रक्रिया संहिता में 'पीड़ित' शब्द परिभाषित है, अन्तर्गत :

(a) धारा 2 (w) (धारा 2(1)(x) BNSS)
(b) धारा 2 (wa) (धारा 2(1)(y) BNSS)

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

(c) धारा 2 (v) (धारा 2(1)(w) BNSS)
(d) इनमें से कोई नहीं

Ans. [b]

लिंकिंग प्रावधान :-

1. दंड प्रक्रिया (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्या 5)।
2. धारा **357(**धारा **395 BNSS)-** पीड़ित को प्रतिकर।
3. धारा **357A, B, C(**धारा **396 BNSS)-** पीड़ित प्रतिकर योजना।
4. धारा 372 परंतु - पीड़ित का अपील करने का अधिकार।
स्पष्टीकरण- धारा 2(wa) (धारा 2(1)(y) BNSS) - पीड़ित - ऐसा व्यक्ति जिसे अभियुक्त के कार्य से हानि या क्षति हुई और इसमें समिल्लित है, पीड़ित के संरक्षक या विधिक वारिस।

17. किसी जनपद में सत्र न्यायालय स्थापित करने का प्राधिकार किसे दिया गया है ?

(a) राज्यपाल (b) उच्च न्यायालय
(c) राज्य सरकार (d) उपरोक्त सभी

Ans. [c]

लिंकिंग प्रावधान :-
सेशन न्यायलय संबंधी अन्य प्रावधान -
1. धारा 6 (धारा 6 BNSS)- सेशन न्यायलय आपराधिक न्यायलय।
2. धारा 26 (धारा 21 BNSS)- सेशन न्यायलय विचारणीय न्यायलय।
3. धारा 28 (धारा 22 BNSS)- सेशन न्यायलय के दंड की शक्ति।
4. धारा 193(धारा 213 BNSS)- सेशन न्यायलय न्यायलय द्वारा अपराध का संज्ञान।
5. धारा 199(2) (धारा 222 BNSS) - सेशन न्यायलय द्वारा संज्ञान।
6. धारा 208 (धारा 231 BNSS)- सेशन न्यायलय द्वारा विचारणीय मामलों मे अभियुक्त को दस्तावेज।
7. धारा 209(धारा 252 BNSS) - सेशन न्यायलय को मामला सुपुर्द।
8. धारा 225-237 (धारा 248-260 BNSS)-सेशन न्यायलय द्वारा विचारण प्रक्रिया।
9. धारा 276 (धारा 311 BNSS)- सेशन न्यायलय के समक्ष विचारण में अभिलेख।
10. धारा 304 (धारा 341 BNSS)- सेशन न्यायलय द्वारा विधिक सहायता।
स्पष्टीकरण - धारा 9 - सेशन न्यायलय की स्थापना प्रत्येक सेशन खंड में राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। प्रत्येक सेशन न्यायलय में एक पीठासीन की नियुक्ति, उच्च न्यायलय द्वारा की जायेगी।

18. सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा ?

(a) राज्यपाल
(b) उच्च न्यायालय
(c) राज्य सरकार
(d) जिला मजिस्ट्रेट

Ans. [b]

स्पष्टीकरण - धारा 9 **(धारा 8 BNSS)**- प्रत्येक सेशन न्यायलय के लिए एक पीठासीन अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति उच्च न्यायलय द्वारा की जायेगी।

19. एक जनपद में कितने वर्ग के आपराधिक न्यायालय होते हैं?

(a) दो (b) तीन
(c) चार (d) पाँच

Ans. [c]

लिंकिंग प्रावधान :- धारा 26 (धारा 21 BNSS)- विचारण न्यायलय।
स्पष्टीकरण - धारा 6 (धारा 6 BNSS)- आपराधिक न्यायलय :-
1.सेशन न्यायलय।
2. प्रथम वर्ग मैजिस्ट्रेट न्यायलय और महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायलय।
3. द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायलय।
4. कार्यपालक मजिस्ट्रेट।

20. धारा 25 (1 A) (Sec 19 BNSS), दण्ड प्रक्रिया संहिता को निम्न में से किस संशोधन द्वारा अन्तः स्थापित किया गया है ?

(a) 1978 के अधिनियम के 05 की धारा 3 द्वारा
(b) 1978 के अधिनियम के 45 की धारा 9 द्वारा
(c) 2005 के अधिनियम के 25 की धारा 4 द्वारा
(d) 2009 के अधिनियम के 5 की धारा 3 द्वारा

Ans [b]

लिंकिंग प्रावधान:-
1. धारा 24**(**धारा **18 BNSS)** – लोक अभियोजक।
2. धारा 301 **(**धारा **338 BNSS)**- लोक अभियोजकों द्वारा हाजिरी।
स्पष्टीकरण:- धारा 25 (1A)- केंद्र सरकार मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में किसी भी मामले या मामलों की श्रेणी के संचालन के उद्देश्य से एक या एक से अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है।

21. एक उच्च न्यायालय निम्न में से कौन से दण्ड पारित कर सकता है ?

(a) मृत्यु दण्ड
(b) आजीवन कारावास
(c) सश्रम कारावास
(d) कोई भी दण्ड जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो ।

Ans. [d]

लिंकिंग प्रावधान :-
1. धारा 354(3) (धारा 393 BNSS) - मृत्यु दंड की दशा में विशेष कारण लिखना।
2. धारा 368 (धारा 409 BNSS)- सेशन न्यायलय द्वारा दिये मृत्यु दंड की उच्च न्यायलय द्वारा पुष्टि।
3. धारा 413 (धारा 453 BNSS)- धारा 368 के अधीन दिये गए मृत्यु दंड का निष्पादन।
4. धारा 414 (धारा 454 BNSS)- उच्च न्यायलय द्वारा मृत्यु दंड का निष्पादन।
5. धारा 415 (धारा 455 BNSS)- मृत्यु दंड का मुल्तवी।
स्पष्टीकरण - धारा 28 **(धारा 22 BNSS)**- उच्च न्यायलय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंड दे सकेगा।

अध्याय – III : न्यायालयों की शक्ति (21-29)

22. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दण्डादेश दे सकता है-

(a) मृत्युदण्ड तक
(b) आजीवन कारावास तक
(c) आजीवन कारावास तक
(d) 7 वर्ष के कारावास तक

Ans. [d]

लिंकिंग प्रावधान: धारा 29(1) L/w 12, 14, 15, 28, 325 Cr.PC (धारा 23(1) L/w 10, 12, 13, 22, 364 BNSS)

23. जिले में लोक अभियोजकों की नियुक्ति के लिये नामों का पैनल कौन तैयार करता है ?

(a) केवल जिला मजिस्ट्रेट
(b) केवल सत्र न्यायाधीश
(c) जिला मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश के परामर्श से
(d) राज्य सरकार

Ans [c]

लिंकिंग प्रावधान:-
1. धारा 2(u) (धारा 2(1)(v) BNSS) - लोक अभियोजक
2. धारा 301 **(**धारा **338 BNSS)**– लोक अभियोजक द्वारा हाजिरी।
3. धारा 225**(**धारा **248 BNSS)** - लोक अभियोजक द्वारा विचारण किया जाना।

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
(CrPC, 1973)

मुख्य परीक्षा प्रश्न – हल

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (CrPC, 1973)

I Preliminary

1. निम्नलिखित के बीच में अंतर कीजिए -

(a) जांच एवं विचारण

(b) उन्मोचन एवं दोषमुक्ति

(c) समन मामला एवं वारण्ट मामला

[RJS 2021]

Or

जांच और विचारण के बीच अंतर।

[HJS 1988, PJS 2003]

Or

जांच और विचारण के बीच अंतर।

[HJS 1988]

Or

वारंट- मामले पर टिप्पणी लिखिए।

[BJS 1978]

Or

कौन से मामले वारंट मामले होते हैं?

[GJS 2020]

Or

समन मामला और वारंट मामला के बीच अंतर करें।

[PJS 2003]

Ans.-

(a) जांच एवं विचारण

- **जांच**

  जांच आपराधिक मामले में एक चरण है, जहां एक न्यायिक अधिकारी, जैसे कि एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, अन्वेषण अधिकारियों से साक्ष्य प्राप्त करता है।

  न्यायिक अधिकारी तब निर्णय लेता है कि क्या संदिग्ध पर अपराध का आरोप लगाने और विचारण की कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं।

  जांच के परिणामस्वरूप दोषसिद्धि या दोषमुक्ति नहीं हो सकती है, लेकिन यह विचारण के लिए मामला तैयार करता है।

- **विचारण**

  विचारण एक न्यायिक कार्यवाही है, जहां अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष अपने साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत करते हैं।

  एक न्यायाधीश या जूरी तब निर्णय लेते है कि संदिग्ध अपराध का दोषी है या नहीं।

  इसके परिणामस्वरूप या तो अभियुक्त को दोषसिद्धि या दोषमुक्ति होती है।

(b) उन्मोचन एवं दोषमुक्ति

Ans.- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (बीएनएसएस) के अनुसार दोषमुक्ति और उन्मोचन के बीच अंतर नीचे दिए गए हैं:

1. दोषमुक्ति का अर्थ है, इस संबंध में प्रस्तुत सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, जब न्यायालय द्वारा अभियुक्त को निर्दोष पाया जाता है, तो उसे विधिक रूप से मुक्त करना। उन्मोचन का अर्थ है, पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश द्वारा दिया गया छोड़ने का विधिक आदेश, जब जिस आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, वह मिथ्या या निराधार साबित हुआ हो।
2. सीआरपीसी की धारा 232, 248, 255 (255, 271, 278 बीएनएसएस) में दोषमुक्ति का प्रावधान है जबकि सीआरपीसी की धारा 227, 239, 245 (250, 262, 268 बीएनएसएस) में उन्मोचन का प्रावधान है।
3. दोषमुक्ति का अर्थ है निर्दोषता का निर्णय, जहां प्रतिवादी को युक्तियुक्त संदेह से परे आरोपों में दोषी नहीं पाया जाता है। उन्मोचन का अर्थ दोष या निर्दोषता पर निर्णय नहीं है; यह प्रक्रियात्मक या साक्ष्य संबंधी मुद्दों के कारण कार्यवाही की समाप्ति है।
4. किसी व्यक्ति को आरोप विरचित करने से पहले भी उन्मोचित किया जा सकता है। आरोप विरचित होने के बाद ही किसी व्यक्ति को दोषमुक्त किया जा सकता है।
5. न्यायिक प्रक्रिया में पूरे विचारण के बाद अभियुक्त की बेगुनाही साबित होने पर दोषमुक्त करने का आदेश दिया जाता है। अभियुक्त को उसके खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य न होने के कारण उन्मोचित कर दिया जाता है।
6. दोषमुक्त किए गए व्यक्ति को उन्हीं आधारों पर दोबारा गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। उन्मोचित किए गए व्यक्ति को उन्हीं कारणों से दोबारा गिरफ़्तार किया जा सकता है।
7. दोषमुक्ति करने के लिए विचारण और फ़ैसले की ज़रूरत होती है, जबकि उन्मोचित करने के लिए ऐसा नहीं होता।
8. दोषमुक्ति करने का परिणाम यह होता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्रतिवादी के अपराध को साबित करने में विफल रहे। प्रतिवादी के खिलाफ़ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने के लिए अपर्याप्त साक्ष्यों के कारण उन्मोचित किया जा सकता है।

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

(c) समन मामला एवं वारण्ट मामला

Ans.- समन और वारंट मामले में अंतर

अंतर के बिंदु	समन मामला	Warrant Case / वारण्ट मामला
अपराध की प्रकृति	दो वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय	दो वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय
प्रक्रिया	CrPC के अध्याय-XX की धारा 251 से 259 तक (274-282 BNSS) प्रदान किया गया है ।	CrPC के अध्याय-XIX की धारा 238 से 250 तक (261-273 BNSS) प्रदान किया गया है ।
आरोप विरचित करना	अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित करना जरूरी नहीं है। लेकिन, अभियुक्त को केवल विवरण ही बताया जाना चाहिए।	अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक आरोप विरचित करना अनिवार्य है।
उद्देश्य	यह अभियुक्त व्यक्ति को सूचित करता है कि वह विधिक रूप से न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य है।	यह उस अभियुक्त व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष लाता है, जिसने सम्यक् रूप से जारी किए गए समन की अनदेखी की है।
अंतर्वस्तु	इसमें संबंधित दस्तावेजों और अन्य को न्यायालय के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया गया है।	सामान्यतः यह पुलिस अधिकारी को अभियुक्त व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष लाने के लिए अधिकृत करता है।
अभियुक्त व्यक्ति को उन्मोचित कब किया जायेगा ?	परिवादी की अनुपस्थिति या परिवादी की मृत्यु	परिवादी की अनुपस्थिति। यदि कोई आरोप विरचित नहीं किया गया है। यदि अपराध असंज्ञेय और शमनीय है।
मामले का परिवर्तन	समन मामले को वारंट मामले में परिवर्तित किया जा सकता है।	किसी भी हालत में वारंट मामले को समन मामले में परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

2. निम्न में अंतर बताएं :

(a) एफ.आई.आर. और परिवाद

(b) जांच और अन्वेषण

[MPSC CJ 2022]

Or

'जांच' और 'अन्वेषण' में अंतर स्पष्ट कीजिए।

[GJS 2017]

Or

'जांच' और 'अन्वेषण' शब्दों को समझाइए । दोनों में अंतर कीजिए।

[HPJS 2016]

जांच और अन्वेषण के बीच अंतर

[PJS 2003]

(a) एफ.आई.आर. और परिवाद

अंतर का आधार	परिवाद	प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर)
परिभाषा	सीआरपीसी के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया अभिकथन ।	पुलिस अधिकारी को दी गई संज्ञेय अपराध के संबंध में सूचना। [धारा 154 सीआरपीसी (173 बीएनएसएस)]
कौन दाखिल कर सकता है?	किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है ।	इसे केवल पीड़ित व्यक्ति, पीड़ित की ओर से कोई व्यक्ति, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे संज्ञेय अपराध के घटित होने के बारे में जानकारी हो, द्वारा ही दायर किया जा सकता है।
कहाँ दाखिल करें	सीधे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ।	पुलिस स्टेशन में दाखिल किया जाता है । [धारा 154 सीआरपीसी (173 बीएनएसएस)]

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

अंतर का आधार	परिवाद	प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर)
संज्ञान	मजिस्ट्रेट परिवाद के आधार पर संज्ञान ले सकते हैं ।	मजिस्ट्रेट एफआईआर के आधार पर तब तक संज्ञान नहीं ले सकते जब तक पुलिस अन्वेषण करके अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर देती । [सीआरपीसी धारा 173, 190 (193, 210 बीएनएसएस)]
अपराध के प्रकार	संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों के लिए दायर किया जा सकता है।	केवल संज्ञेय अपराधों के लिए। [CrPC की धारा 2(ग) (2(1)(छ) बीएनएसएस)]
प्रक्रिया	सीधे न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।	एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस हस्तक्षेप और अन्वेषण की आवश्यकता होती है।
परिसीमा काल	परिवाद दर्ज करने के लिए कोई परिसीमा काल नहीं।	एफआईआर बिना देरी के दर्ज की जानी चाहिए, किसी भी देरी का स्पष्टीकरण देना होगा।

(b) जांच और अन्वेषण

अन्वेषण और जांच के बीच अंतर

आधार	अन्वेषण	जांच
अर्थ	अन्वेषण वह प्रक्रिया है जिसमें मामले से संबंधित परिस्थितियों को जानने के लिए तथ्यों और साक्ष्यों का संग्रह किया जाता है।	जांच एक न्यायिक प्रक्रिया है, जो अनिश्चितता को दूर करने, सही तथ्यों का पता लगाने या उसके बारे में ज्ञान का विस्तार करने के लिए शुरू की जाती है।
परिभाषा	दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 2(ज) [2(1)(ठ) बीएनएसएस] में परिभाषित।	दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 2(छ) [2(1)(ट) बीएनएसएस] में परिभाषित।
किसके द्वारा की जाती है	पुलिस अधिकारी द्वारा और मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा।	यह मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है।
चरण	किसी आपराधिक मामले में अन्वेषण पहला चरण है।	जांच दूसरा चरण है जो अन्वेषण के बाद आता है।
उद्देश्य	इसका उद्देश्य कथित अपराध से संबंधित तथ्य और साक्ष्य एकत्र करना है।	इसका उद्देश्य साक्ष्य के आधार पर आरोपों की सच्चाई या झूठ का पता लगाना है।
प्रारंभ	किसी कथित अपराध के संबंध में पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) या परिवाद दर्ज होने पर अन्वेषण शुरू होता है।	जांच तब शुरू होती है जब पुलिस अपने अन्वेषण के आधार पर अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल करती है।
समापन	पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही अन्वेषण समाप्त हो जाता है।	जांच अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित करने के साथ समाप्त होती है।
प्रक्रिया की प्रकृति	अन्वेषण एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जो कार्यकारी प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है।	जांच एक न्यायिक प्रक्रिया है जो न्यायालय की निगरानी में की जाती है।

3. संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों के बीच अंतर।

[DJS 1973, 2006, RJS 1979, HJS 1999, UP PCS(J) 1987,2015]

संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध, जमानती और अजमानतीय अपराध, शमनीय और अशमनीय अपराध, समन विचारण और वारंट विचारण के बीच अंतर करें।

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023
(CrPC, 1973)

साक्षात्कार प्रश्न – हल

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (CrPC, 1973)

1. जमानती और गैर जमानती अपराध में क्या अंतर है?

Ans. सर, जमानती अपराध के मामले में, आरोपी व्यक्ति द्वारा जमानत का दावा अधिकार के रूप में किया जाता है और न्यायालय या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी उस व्यक्ति को रिहा करने के लिए बाध्य होते हैं जो अभिरक्षा में है जो जमानत देने के लिए तैयार है।
जबकि गैर-जमानती अपराध के मामले में जमानत न्यायालय का विवेकाधिकार है।

2. संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में क्या अंतर है?

Ans. सर, संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति है। जबकि गैर-संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस अधिकारी के पास धारा 155 (2) (174 BNSS के तहत वारंट या न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है और न ही वह सीआरपीसी की धारा 165 (185 BNSS) के तहत तलाशी ले सकता है।

3. परिवाद और इत्तिला में क्या अंतर है.

Ans. सर, परिवाद के मामले में, शिकायतकर्ता मजिस्ट्रेट से अनुरोध करता है कि अभियुक्त के रूप में नामित व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाए, लेकिन इत्तिला के मामले में मजिस्ट्रेट स्वयं विवेक से कार्यवाही करता है।

4. जांच और विचारण के बीच क्या अंतर है?

Ans. सर, जांच शब्द उस चरण तक की कार्यवाही को कवर करता है जब वे आरोप मुक्त हो जाते हैं, जबकि शब्द विचारण उस बिंदु से कार्यवाही का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर दोषसिद्धि या दोषमुक्ति हो सकती है।

5. जांच और अन्वेषण के बीच क्या अंतर हैं?

Ans. सर,

(i) एक मजिस्ट्रेट या एक न्यायालय द्वारा एक जांच की जाती है, लेकिन एक अन्वेषण एक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय नहीं हो, की जाती है।

(ii) एक जांच न्यायिक या गैर-न्यायिक हो सकती है लेकिन एक अन्वेषण कभी भी न्यायिक नहीं हो सकती है।

(iii) जाँच का उद्देश्य सत्य का निर्धारण करना है लेकिन अन्वेषण का उद्देश्य साक्ष्य एकत्र करना है।

6. कुछ मामलों को बताएं जिनमें दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जांच की जा सकती है?

Ans. सर,

(i) धारा 145 (4) के तहत स्थावर संपत्ति के विवाद के मामले में।(164 BNSS)

(ii) धारा 146, 147 एवं 148 (165, 166, 167 BNSS) के तहत कार्यवाही में।

(iii) धारा 176 (196 BNSS) के तहत पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति की मौत के मामले में।

7. अपराध क्या है?

Ans. सर, अपराध का अर्थ किसी भी कार्य या लोप से है जो तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया है।(अपराध को आईपीसी की धारा 40 व 2(n) सीआरपीसी में परिभाषित किया गया है)।

8. समन मामले और वारंट मामले में क्या अंतर है?

Ans. सर, सभी मामले जिनमें अपराध की दो वर्ष या दो वर्ष से कम की सजा है, समन मामले कहलाते हैं।
जबकि वे सभी मामले जिनमें अपराध मृत्युदंड, आजीवन कारावास या दो वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, वारंट मामले हैं।

9. त्वरित विचारण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 द्वारा क्या संशोधन किए गए हैं?

Ans. (1) बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में अन्वेषण इतिला की तारीख से दो महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।

(2) कोई स्थगन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि परिस्थितियाँ पक्षकार के नियंत्रण से बाहर न हों।

(3) बलात्कार के मामलों का विचारण साक्षीयों की परीक्षा शुरू होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।

10. दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 के उद्देश्य क्या हैं?

Ans. त्वरित और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करना और आपराधिक न्याय प्रणाली को बढ़ावा देना।

11. दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन के कारण अधिवक्ता न्यायिक कार्य से अनुपस्थित रहे। क्या आप भी इसमें शामिल थे?

Ans. नहीं सर ।

12. क्यों?

Ans. (1) सर, धारा 309 में जिस संशोधन से हड़ताल हुई थी, संशोधन से मामला शीघ्र ही सुलझ जाएगा। आम लोगों का न्याय पर विश्वास बना रहेगा। सर, न्याय देरी से विफल होता है और न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य धाराओं में संशोधन आवश्यक था।

(2) यदि असहमत कुछ संशोधन जैसे धारा 309 में संशोधन से अधिवक्ता और मुवक्किल दोनों को परेशानी होगी। मुवक्किल को यह कठिनाई होगी कि उसे बार-बार वकील को फीस देनी पड़ सकती है और वकील को परेशानी होगी कि वह एक-दो मुकदमे में ही बहस कर सकता है। दूसरे, यदि किसी कारण से अधिवक्ता उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय को अधिकार है कि वह साक्षी का बयान दर्ज करे और उसे परीक्षा या प्रति-परीक्षा से मुक्त करे और उचित आदेश पारित करे। इस प्रावधान का लाभ आरोपियों को मिलेगा।

13. न्यायिक अतिक्रमण क्या है?

Ans. जब न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करना शुरू करती है तो इसे न्यायिक अतिक्रमण का नाम दिया जाता है।

14. किस मामले में और किस न्यायाधीश ने न्यायिक अतिक्रमण का प्रयोग किया है?

Ans. इंदिरा प्रियदर्शन बनाम भारत संघ, (2008), माननीय न्यायमूर्ति श्री मार्कंडेय काटजू।

15. अंतरिम जमानत क्या है?

Ans. न्यायालय जमानत अर्जी पर अंतिम आदेश पारित करने से पहले कुछ समय के लिए जमानत स्वीकार कर सकता है। इसे अंतरिम जमानत कहते हैं।

16. दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत ऑडी अल्टरम पार्टेम से संबंधित है?

Ans. सर, धारा 313।(351 BNSS)

17. दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा न्यायालय को असाधारण क्षेत्राधिकार प्रदान करती है?

Ans. सर, धारा 482।(528 BNSS)

18. और अनुच्छेद?

Ans. सर, अनुच्छेद 142।

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

19. 'सौदा अभिवाक़" क्या है?

Ans. सौदा अभिवाक़, अभियुक्त तथा अभियोजन पक्ष के बीच समझौते द्वारा मामले को निपटाने की प्रक्रिया है जहां अभियुक्त 7 वर्ष तक के अपराध के मामलों में न्यायलय में शपथ पत्र पर आवेदन कर दोनों पक्ष समझौता कर सकते है।

20. किस संशोधन अधिनियम द्वारा 'सौदा अभिवाक़' को जोड़ा गया है?

Ans. सर, आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा।

21. आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 को हाल ही में दो बार संशोधित किया गया है? संशोधन अधिनियम का नाम बताइए।

Ans. सर, आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 और आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018।

22. 'सौदा अभिवाक़' के बारे में विस्तार से बताएं या सौदा अभिवाक़ के मुख्य बिंदुओं को बताएं ।

Ans. (i) अभियुक्त द्वारा 'सौदा अभिवाक़' के लिए आवेदन दाखिल किया गया है।
(ii) आवेदन उस न्यायालय में दायर किया जाता है जहां मामला विचारण के लिए लंबित है।
(iv) मामले के आपसी समाधान में न्यायालय न्यूनतम दंड के आधा दंड का प्रावधान करती है और जहां आरोपित अपराध के लिए न्यूनतम दंड का प्रावधान नहीं है, वहां अभियुक्त उस अपराध के लिए दंड का एक चौथाई प्रदान करता है।
(iv) अभिव्यक्त सौदेबाजी के आधार पर न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होता है। इस निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। उच्च न्यायालय में रिट याचिका और उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की जा सकती है।
(v) अध्याय 21-ए का प्रावधान उस अभियुक्त के विरुद्ध लागू होता है जिसके द्वारा 7 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध किया गया प्रतीत होता है।
(vi) सौदा अभिवाक़ का प्रावधान वहां लागू नहीं होगा जहां ऐसा अपराध देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है या महिला या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के विरुद्ध किया गया प्रतीत होता है। धारा 265- (जी) के अनुसार, इस अध्याय की कोई भी बात किसी भी बालक या किशोर पर लागू नहीं होगी।

23. क्या दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कोई अन्य समान प्रावधान है?

Ans. हां सर, धारा 320 (359 BNSS) में अपराध के शमन का प्रावधान है।

24. धारा 320 (359 BNSS)को समझाइए।

Ans. सर, धारा 320 (359 BNSS)के अंतर्गत दो तालिकाएँ हैं- तालिका 1 उन अपराधों की सूची देती है जिनमें अपराधी और पीड़ित न्यायालय की अनुमति के बिना पक्षकार अपसा में समझौता कर सकते हैं। तालिका 2 में ऐसे अपराधों की सूची दी गई है जिनमें पक्षकार केवल न्यायालय की अनुमति से ही समझौता कर सकते हैं।

25. अपराध का शमन और सौदा अभिवाक़ के बीच मूल अंतर क्या है?

Ans. सर, अपराध के शमन में पीड़ित द्वारा आवेदन किया जा सकता है, जबकि सौदा अभिवाक़ के मामले में आवेदन अभियुक्त द्वारा स्वयं किया जा सकता है।
सौदा अभिवाक़ में आरोपी को सजा सुनाई जा सकती है जबकि अपराध के शमन में आरोपी को उनमोचित कर दिया जाता है।
अपराध के शमन का प्रभाव अभियुक्त की दोषसिद्धि है, जबकि सौदा अभिवाक़ में अभियुक्त को दंडित किया जा सकता है और प्रतिकर देने का आदेश दिया जा सकता है।

26. दोनों में क्या समानता है?

Ans. सर, अभियुक्त को दोनों प्रावधानों में पूर्व दोषसिद्धि का आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए।

27. क्या आप किसी चरण में समझौता करने गए हैं?

Ans. हाँ सर ।

28. किस मामले में?

Ans. सर, सदोष अवरोध, सदोष परिरोध और गृह अतिचार आदि जैसे मामलों में।

29. क्या चोरी और छल के अपराध का शमन किया जा सकता है?

Ans. जी सर, चोरी तथा छल का अपराध संहिता की धारा 320(1) के अंतर्गत शमनीय है तथा शमन किया जा सकता है।

30. सत्र न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश के बीच क्या अंतर है.

Ans. सर, जब जिला न्यायाधीश एक आपराधिक मामले की सुनवाई करता है, तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है और जब वह एक सिविल मामले की सुनवाई करता है, तो उसे जिला न्यायाधीश कहा जाता है।

31. क्या आप किसी आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं?

Ans. हां सर, जब आरोपी व्यक्ति करता है
(i) हमारी उपस्थिति में गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध या
(ii) वह उद्घोषित अपराधी है। (धारा 43) (40 BNSS)

32. क्या गिरफ्तारी में किसी व्यक्ति की मौत हो सकती है?

Ans. हां सर।

33. कब?

Ans. जब गिरफ्तार किए जा रहे व्यक्ति पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास का आरोप लगाया जाता है और वह गिरफ्तारी का विरोध करता है (धारा 46) (43 BNSS)

34. क्या किसी महिला को रात में गिरफ्तार किया जा सकता है?

Ans. हाँ सर, असाधारण परिस्थितियों में, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति से और एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा।(धारा 46) (43 BNSS)

35. क्या आप गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी ले सकते हैं?

Ans. नहीं सर ।

36. गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान के संबंध में प्रावधान कहां है?

Ans. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 54A (54 BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 (7 BSA) के तहत।

37. उपस्थिति के लिए बाध्य करने की प्रक्रिया क्या हैं?

Ans. सर, सम्मन, वारंट, उद्घोषणा और कुर्की।

38. समन और वारंट में क्या अंतर है?

Ans. समन उस व्यक्ति के नाम से होता है जो उपस्थित होने के लिए जाना जाता है लेकिन वारंट किसी अन्य व्यक्ति को उस व्यक्ति या वस्तु को पेश करने के लिए दिया जाता है।

39. वारंट कब तक प्रभावी रहता है?

Ans. वारंट तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि इसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया जाता है या जब तक इसे निष्पादित नहीं किया जाता है।

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

Ans. सर, धारा 2 (डब्ल्यूए) के अनुसार "पीड़ित" का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसे उस कार्य या लोप के कारण कोई हानि या क्षति हुई है जिसके लिए आरोपी व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है और अभिव्यक्ति "पीड़ित" में उसका शामिल है संरक्षक या विधिक उत्तराधिकारी।

213. परिवाद का मतलब क्या है?

Ans. उत्तर. सर, धारा 2(घ) के अनुसार "परिवाद" का अर्थ इस संहिता के तहत कार्रवाई करने की दृष्टि से मजिस्ट्रेट को मौखिक या लिखित रूप से लगाया गया कोई भी आरोप है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं करता है ।

214. पुलिस रिपोर्ट कब परिवाद बन जाती है?

Ans. उत्तर. सर, धारा 2(घ) के अनुसार, स्पष्टीकरण किसी मामले में एक पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट, जो अन्वेषण के बाद, गैर-संज्ञेय अपराध के घटित होने का खुलासा करती है, एक परिवाद मानी जाएगी; और जिस पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है, उसे परिवादी माना जाएगा।

215. 'संज्ञेय अपराध' को परिभाषित करें।

Ans. सीआरपीसी की धारा 2(ग) के अनुसार अपराध 'संज्ञेय अपराध' है जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है।

216. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा क्या सजा दी जा सकती है?

Ans. सीआरपीसी की धारा 29(1) (23 BNSS) के अनुसार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय मृत्युदंड या आजीवन कारावास या सात साल से अधिक की अवधि के कारावास को छोड़कर विधि द्वारा अधिकृत कोई भी सजा सुना सकती है।

Sample Preview

Scan QR
for
Landmark Judgments
(Year wise & Subject wise)

Click Here to Buy Linking Publications

ALL-IN-ONE PAPERATHON©

For Preliminary, Mains & Interview

Covered more than 15 States' Judiciary Exams.

Available in English and Hindi Edition

Linking Support
988 774 6465 (Classes)
773 774 6465 (Publication)

Scan this QR
Order Now or visit
www.LinkingLaws.com

E-Study Material for Judiciary and Law Exams
is available at **Linking App.**

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications